सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– **2018/02** दायर दिनाँक **12.02.2018**

आवेदकगण		अनावेदकगण
1. सुरेशकुमार पुत्र जगदीशप्रसाद, जाति–धोबी, उम्र–30साल, निवासी–दाऊदसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अकबर खाँ पुत्र कासमखाँ, 2. नानूखाँ पुत्र कासमखाँ, 3. सुल्तानखाँ पुत्र आलमअलीखाँ, 4. सुलेमानखाँ पुत्र आलमअलीखाँ, 5. कालूखाँ पुत्र आलमअलीखाँ, 6. बुदेखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ, 7. इसाकखाँ पुत्र इब्राहिमखाँ, 8. बाबुखाँ पुत्र अहमदखाँ, 9. सबीरखाँ पुत्र अहमदखाँ, 10. रफीकखाँ पुत्र अहमदखाँ, 11. फैज मोहम्मदखाँ पुत्र मेहबूबखाँ, 12. मुरादखाँ पुत्र मेहबूबखाँ, 13. हुसैनखाँ पुत्र मेहबूबखाँ, 14. सतारखाँ पुत्र मेहबूबखाँ, 15. बोदूखाँ पुत्र कासमअलीखाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–दाऊदसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान्।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **24.05.2018**

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम दाऊदसर में स्थित खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 31 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–02/2018
दायर दिनाँक 12.02.2018 निर्णय दिनाँक 24.05.2018
सुरेशकुमार बनाम् अकबरखाँ, वगैरा।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण न्याय आपके द्वार, 2018 : कोर्ट कैम्प–धनकोली में पेश हुआ। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा कोर्ट दिवस दिनाँक 24.05.2018 को रिपॉर्ट पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट दिनाँक 24.05.2018 में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक– शरहद दाउदसर के खसरा नम्बर 31 में आने–जाने हेतु, खसरा नम्बर 30 में से होकर प्रस्तावित किया है जो कि खसरा नम्बर 30 की पूर्वी सीमा के समानान्तर है जिसका क्षेत्रफल लम्बाई 45 मीटर व चौड़ाई 06.10 मीटर है अर्थात् 274.5 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित किया है।

शरहद दाऊदसर के खसरा नम्बर 31 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थी मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की दिनाँक 24.05.2018 की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक भूमि को नजदीकी रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। तहसीलदार डीडवाना की दिनाँक 24.05.2018 की रिपॉर्ट पर न्यायालय

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–02 / 2018
दायर दिनाँक 12.02.2018 निर्णय दिनाँक 24.05.2018
सुरेशकुमार बनाम् अकबरखाँ, वगैरा।

सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट दिनाँक 24.05.2018 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 31 वाकै शरहद दाऊदसर में आवागमन हेतु, तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनाँक 24.05.2018 के अनुसार, मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में दर्शित मार्क लाल लाईन की भूमि, लम्बाई 45 मीटर व चौड़ाई 06.10 मीटर कुल रकबा 274.5 वर्गमीटर भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

रास्ता में गयी भूमि की कीमत का, वर्तमान डी0एल0सी0 दर से नियमानुसार आंकलन कर, प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

निर्णय आज दिनाँक **24.05.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–02–2018/रीडर/2018/ दिनाँक

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

आवेदकगण		अनावेदकगण
1. सुरेशकुमार पुत्र जगदीशप्रसाद, जाति–धोबी, उम्र–30साल, निवासी–दाऊदसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अकबर खाँ पुत्र कासमखाँ, वगैरा, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–दाऊदसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–धनकोली

Scanned by CamScanner